न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 2008 / 593

1. भौरीलाल पुत्र श्री लालाराम
2. कजोड
3. उदाराम
4. नारायण

पुत्रान भौरीलाल समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम भापूरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. रामफूल पुत्र भौरीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भापूरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर
3. रामस्वरूपपु‌त्र गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

– प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दावा बाबत् इस्तकरारहक (घोषणा) एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 16/03/2021

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादी नं. 01, वादी नं. 02 ता 4 एवं प्रतिवादी नंबर 1 का पिता हैं एवं इनका संयुक्त हिन्दू परिवार हैं इन पक्षकारान् की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम भापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित हैं। प्रतिवादी नंबर 1 वादी का सबसे छोटा पुत्र हैं जिसका जन्म दिनांक 01.08.1980 को हुआ। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 01 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है इस कारण इस परिवार के सदस्यो द्वारा अर्जित की गई आय भी संयुक्त रूप से ही रही। वर्ष 1980 से वादी नं. 01 व 02 काश्त एवं मेहनत मजदुरी कर संयुक्त हिन्दू परिवार का खर्च उठाते रहे हैं। प्रतिवादी नं. 1 जो वादी का सबसे छोटा पुत्र हैं के नाम से उसकी नाबालिगी के दौरान यानि प्रतिवादी नं. 1 ... वर्ष की अवस्था में वादीगण ने संयुक्त हिन्दू परिवार की ... से ग्राम भापुरा तहसील सांगानेर में गत खसरा नंबर 636 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा में 1/2 हिस्सा ... को प्रतिवादी नं. 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:11:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि

कृते प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि शाखा कलेक्टर ..., जयपुर

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी नं. 3 के साथ मिलकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 19.06.1984 को क्रय किया और इस आधार पर यह आराजी प्रतिवादी नं. 1 व 3 के नाम खातेदारी में इर्ज इन्द्राज हुई। ग्राम भापूरा तहसील सांगानेर की गत खसरा नंबर 636 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा जिसका वर्तमान खसरा नंबर 828 रकबा 0.33 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज हैं और इस आराजी में प्रतिवादी नं. 1 का हिस्सा वादग्रस्त हैं जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त रूप से काबिज काश्त हैं चूकि यह सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से अर्जित है और जब प्रतिवादी नंबर 1 के नाम उसकी नाबालिगी के दौरान आराजी का क्रय किये जाने के कारण ही खातेदारी में दर्ज हैं। माह सितम्बर 2009 से प्रतिवादी नं. 1 की नियत में फितूर आ गया और वह वादीगण से रजिंश रखने लगा और वह प्रतिवादी नंबर 1 आदतन भारी मात्रा में नशा करता हैं और उसने नशा करने हेतु वादीगण से रूपयो की मां की तो वादीगण ने उसे नशा करने के लिए रूपये देने के लिए मना कर दिया तब प्रतिवादी नंबर 1 ने एलानिया धकी दी कि वह वादग्रस्त आराजीयात को बेचकर नशा करने हेतु रूपयो की व्यवस्था कर लेवेगा इन्ही नापाक मंसूबो के तहत प्रतिवादी नंबर 1 कुछ व्यक्तियो को वादग्रस्त आराजीयात पर लाकर मौका दिखाता हैं जबकि प्रतिवादी नंबर 1 अकेले की कोई खातेदारी अधिकार वादग्रस्त आराजी पर नहीं हैं फिर भी मात्र खातेदारी के आधार पर प्रतिवादी नंबर 1 संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से अर्जित वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर बराबर हक व हिस्सा हैं इसे घोषित कराने का वादीगण को पूर्ण अधिकार हैं वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर 1 का खसरा नंबर 828 रकबा 0.33 हैक्टेयर में प्रतिवादी नंबर एक के नाम दर्ज खातेदारी में हिस्सा 1/5, 1/5 बराबर घोषित कराने एवं इस आधार पर खातेदारी में इन्द्राज कराने का पूर्ण अधिकार है, वादीगण ने प्रतिवादी नंबर एक को ऐसा करने को दिनांक 15.11.09 को कहा तो उसने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। बिनय [illegible] आराजीयात को मुखास्मत माह सितम्बर 2009 में प्रतिवादी नंबर 1 [illegible] को [illegible] के हिस्सा ~~विक्रय करने~~ की धमकी देने से दिनांक 15.1[illegible] घोषित कराये जाने की कार्यवाही [illegible] प्रतिवादी नंबर 1

अन्त में प्रार्थना की गई है कि दावा वादीगण [illegible] है0 में डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 828 रकबा 0.33 है0 में प्रतिवादी नंबर 1 के नाम दर्ज खातेदारी की आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:11:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

नंबर 1 का बराबर बराबर 1/5 हिस्सा की घोषणा कर खातेदारी में इन्द्राज करने के आदेश फरमावे। प्रतिवादी नंबर 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त खसरा नंबर 828 रकबा 0.33 है0 में प्रतिवादी नंबर 01 के हिस्से को प्रतिवादी नंबर 01 विक्रय हस्तान्तरण न करें न ही करावे, ऐसा वह स्वंय न करें न ही अपने मुखत्यार परिवारजन इत्यादि से करावें।

वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ असल जमाबंदी ग्राम भापुरा, असल नक्शा ट्रेस, फोटो प्रति विक्रय पत्र, फोटो प्रति टी.सी. फॉर्म (रामफूल) 15.07.1996 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि मिन प्रतिवादी को निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता होने पर उसने वादीगण से रूपया मांगा तो उन्होनें मिन प्रतिवादी की आर्थिक सहायता करने से मना कर दिया जिस पर मिन प्रतिवादी ने आवेश में आकर वादग्रस्त आराजी को बेचान कर देने की धमकी वादीगण को दे दी लेकिन मिन प्रतिवादी की ऐसी कभी कोई भावना नहीं रही। वादग्रस्त आराजी में मिन प्रतिवादी के नाम जो हिस्सा खातेदारी में दर्ज है वह संयुक्त परिवार की आये से अर्जित है, जिसमें मिन प्रतिवादी के साथ वादीगण का भी बराबर का हक व हिस्सा है। मिन प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजी का किसी को बेचान, रहन नहीं किया है ना ही इस हेतु किसी दीगर व्यक्ति को अपना मुख्त्यार नियुक्त किया है। अतः जवाब दावा पेश कर मिन प्रतिवादी निवेदन करता है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त खातेदारी आराजी खसरा नंबर 636 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा जिसका वर्तमान खसरा नंबर 828 रकबा 0.33 हैक्टेयर खाता संख्या 127 है में 1/2 हिस्सा मिन प्रतिवादी अकेले के स्थान पर वादीगण व मिन प्रतिवादी के नाम हिस्सानुसार दर्ज किये जाने में मिन प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. करवाई गई। लेकिन 1 माह गुजर जाने के उपरांत भी प्रति[illegible] रहने पर तामील की प्रज्जमंसन मानते हुए प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व एकपक्षीय [illegible] अमल में लाई गई।

वकील वादी की ओर से [illegible] पुत्र श्री लालाराम, [illegible] जिला जयपुर, श्री गोपाल जाति–गुर्जर, निवासी ग्राम भापूरा, तहसील [illegible] भापूरा, तहसील सांगानेर जिला पुत्र श्री भोमाराम, जाति गुर्जर निवासी ग्राम भापूरा, तहसील जयपुर, श्री कजोड पुत्र श्री भोरीलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भापूरा, तहसील

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:11:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सांगानेर जिला जयपुर, नारायण पुत्र श्री भोरीलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भापूरा, तेहसील सांगानेर जिला जयपुर, उदाराम पुत्र श्री भोरीलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भापूरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर पेश किय गये। वकील प्रतिवादी द्वारा साक्ष्यवादी से जिरह नही करने पर जिरह का अवसर बंद किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से साक्ष्य श्री रामफूल पुत्र भौरीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भापूरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर पेश किया गया। वकील वादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी से जिरह नही करने पर जिरह का अवसर बंद कर पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई।

वादपत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाक़र पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादी वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 ग्राम भापुरा के खसरा नंबर 828 रकबा 0.33 हैक्टेयर किस्म बारानी के खातेदार कॉलम में रामफूल पुत्र भौरीलाल व रामस्वरूप पुत्र गोपाल जाति गुर्जर सा० देह दर्ज रिकॉर्ड है अर्थात खसरा नंबर 828 रकबा 0.33 हैक्टेयर में रामफूल का 1/2 हिस्सा है। प्रदर्श–5 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व खातेदार श्री मन्ना पुत्र श्री नाथु जाति गुर्जर आयु 45 वर्ष से साबिक खसरा नंबर 636 में 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि क्रेतागण रामफूल पुत्र श्री भौरीलाल व रामस्वरूप पुत्र गोपाल के नाम से दिनांक 19.06.84 को क्रय की गई थी, प्रदर्श–3 जो टी.सी. फॉम स्थानांतरण पत्र प्राधानार्चाय राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेनवाल मांजी (जयपुर) द्वारा जारी किया गया है जिसमें खातेदार रामफूल पुत्र भौरीलाल गुर्जर ग्राम भापुरा की जन्म दिनांक 01.08. [illegible] अंकित है। उपरोक्त दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादग्रस्त जमीन वर्तमान रिकॉर्डेड खातेदार रामफूल के नाम जिस वक्त क्रय की गई उक्त वक्त रामफूल की आयु मात्र 4 वर्ष थी उक्त से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात परिवार के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित आय से ही क्रय की गई है जिसमें अकेले रामफूल का हिस्सा न होकर परिवार के सभी सदस्यों का हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 रामफूल ने भी अपने जवाब में स्पष्ट कहां है कि वादग्रस्त जमीन संयुक्त परिवार की आय से [illegible] की गई थी जिसमें मेरा व वादीगण का [illegible] वादग्रस्त भूमि को बराबर–बराबर हिस्सा है। उपस्थित साक्ष्यों ने भी [illegible] पत्र [illegible] संयुक्त परिवार की अर्जित आय से रामफूल पुत्र भौरीलाल [illegible] नाम से क्रय करना बताया है व वादीगण तथा प्रतिवादी [illegible] बराबर–बराबर हिस्सा [illegible]

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 0.33 वाकै ग्राम भापुरा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:11:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पटवार क्षेत्र कलवाडा भू०अ०नि० क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में 1/2 हिस्से में वादीगण संख्या 1 लागयत 4 व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को बराबर–बराबर (दर हिस्सा कुल रकबा 0.33 में प्रत्येक का 1/10–1/10) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल करें। इस आशय की डिक्री व तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो। निर्णय आज दिनांक 16/03/21 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

प्रमाणित–प्रतिलिपि

कृते प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा
कलेक्टर कार्यालय जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:11:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर ब

इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

भौरीलाल

बनाम

रामफूल वगै.

दावा बाबत् इस्तकरारहक (घोषणा) एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/2021/34

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 0.33 वाकै ग्राम भापुरा पटवार क्षेत्र कलवाडा भू0अ0नि0 क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में 1/2 हिस्से में वादीगण संख्या 1 लागयत 4 व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को बराबर–बराबर (दर हिस्सा कुल रकबा 0.33 में प्रत्येक का 1/10–1/10) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाती है।

निज ......४...... मुबलिग ......४...... बाबत् ......४...... फीसदी
.... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ......४...... का
सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......४......
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/03/21 को जारी की गई।

दस्तखत ...... सहायक कलक्टर

ओहदा ...... जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00			

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:11:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

प्रमाणित प्रतिलिपि

कृते प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा
कलेक्टर कार्यालय जयपुर

Scanned by CamScanner